भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 625

उत्तर देने की तारीख- 06/02/2025

छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी योजना

625. श्री भोजराज नाग:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) योजना के अंतर्गत प्राप्त निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके अंतर्गत चल रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा वन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को लघु वन उपज (एमएफपी) के संबंध में स्वामित्व अधिकार देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क): 2020-21 से 2022-23 के दौरान पीवीटीजी के विकास की योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	निर्मुक्त निधियां (लाख रुपए में)
2020-21	989.32
2021-22	996.90
2022-23	1500.00

वर्ष 2023-24 के दौरान, छत्तीसगढ़ सहित 18 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए, माननीय प्रधान मंत्री ने 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) का शुभारंभ किया।

पीएम जनमन के शुभारंभ के साथ, प्रतिबद्ध देनदारियों को छोड़कर पीवीटीजी विकास योजना के तहत कोई नई गतिविधियों / परियोजनाओं को अनुमोदन / स्वीकृति नहीं दी गई है।

(ख): राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पीवीटीजी विकास योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

1. आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण
2. स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण
3. पीवीटीजी के लिए घरों का निर्माण

(ग): राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ग) अर्थात "ग्रामीण सीमाओं के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से एकत्र किए गए लघु वनोपज के स्वामित्व, संग्रह करने, उपयोग और निपटान के अधिकार" के अंतर्गत सितंबर 2024 तक 5,837 वन अधिकार पत्रों सहित 48,175 सामुदायिक वन अधिकार पत्रों को मान्यता दी गई है/वितरित किया गया है।

****